न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–104/2016
CIS NO. TS 372/2018

रेयाज अहमद एवं अन्य...वादीगण
बनाम
म0 रिजवानुल्लाह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.07.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.05.2024 एवं दिनांक 01.06.2024 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 14.05.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वाद बिन्दु निर्धारण के समय चंद कागजात जो बयान तहरीरी में वर्णित है, भूलवश दाखिल नहीं हो सका। जिनका अभिलेख पर होना आवश्यक है। जिसे न्यायहित में ग्रहण किया जाय तथा आवेदन दिनांक 01.06.2024 में कहा गया है कि वादी के पिता स्व0 मो0 मुस्तफा अली के विरूद्ध माननीय मुंसिफ, बगहा के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0–91/1993 दिनांक 28.09.1993 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसका सच्ची प्रतिलिपि को अभिलेख पर ग्रहण करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त सभी दाखिल कागजातों को न्यायहित में ग्रहण करने की कृपा किया जाय। ताकि आवेदक प्रतिवादी उसका प्रदर्श अंकित करा सके। वादीगण की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 19.07.2024 को दाखिल कर कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा बयनामा दस्तावेज सं0–8120 दिनांक 15.11.1945 एवं निबंधित बक्ख्शीशनामा दस्तावेज सं0–4236 दिनांक 14.05.1991 तथा मरम्मती दस्तावेज सं0–9741 दिनांक 02.07.1992 की सच्ची प्रतिलिपि वाद बिन्दु के गठन के पूर्व क्यों नहीं दाखिल किया गया? इसका समुचित कारण प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन में वर्णित नहीं किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–104/2016

CIS NO. TS 372/2018

रेयाज अहमद एवं अन्य...वादीगण

बनाम

म0 रिजवानुल्लाह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **29.07.2024**	दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। उपरोक्त दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 14.05.2024 एवं दिनांक 01.06.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा दाखिल दस्तावेजों को अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 05.08.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	